रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230447
CG-DL-E-16102021-230447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
No. 462] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2021

फा. सं. एनसीटीई–रेगु.10122/8/2020–यूएस(विनियमन)–एचक्यू.(इ).–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस ओ 750(ई), दिनांक 31 मार्च 2010 के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 25 अगस्त, 2010 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 61–03/20/2010/एनसीटीई/(एन तथा एस), दिनांक 23 अगस्त, 2010, में पुनः संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है, (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित), अर्थातः–

(1). उक्त अधिसूचना में, अनुच्छेद 1 में, उप–अनुच्छेद (i), में खंड (क), में शब्दों/अंकों और कोष्ठकों के बाद "कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक (बी.एड.)" में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:–

"अथवा

न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड."

(2). उक्त अधिसूचना में, अनुच्छेद 1 में, उप–अनुच्छेद (ii) में, खंड (क) में शब्दों और कोष्ठकों के बाद "कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)" में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:–

"अथवा

न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड."

(3). उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, खंड (ख), के बाद निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ग) जिसने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.–एम.एड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा;

बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के दो साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में अनिवार्य रूप से छः महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा"।

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव

[विज्ञापन –.III/4/-असा./329/2021-22]

नोटः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 25 अगस्त 2010, संख्या 64–03/20/2010/एनसीटीई(एन और एस), दिनांक 23 अगस्त 2010 को प्रकाशित हुई थी और जिसे बाद में अधिसूचना संख्या 61–1/2011/एनसीटीई(एन और एस), दिनांक 29 जुलाई 2011, एनसीटीई–रेगु. 012/16/2018, दिनांक 28 जून, 2018 और एनसीटीई–रेगु. 012/22/2019–यूएस(विनियमन) दिनांक 13 नवबंर 2019 द्वारा संशोधित किया।

NATIIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2021

F. No. NCTE-Reg l0122/8/2020-US(Regulation)-HQ.(E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) and in pursuance of the notification number S.O. 750(E), dated the 31st March, 2010, issued by the Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, the National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments further to amend the notification number 61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010 (hereinafter referred to as the said notification), namely:—

(1). In the said notification, in paragraph 1, in sub-paragraph (i), in clause (a), after the words/figures and brackets "Graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education (B.Ed.)", the following shall be inserted, namely: -

"OR

Post-Graduation with a minimum 55% marks or equivalent grade and three-year integrated B.Ed.-M.Ed."

(2). In the said notification, in paragraph 1, in sub-paragraph (ii), in clause (a), after the words/figures and brackets "Graduation with at least 50% marks and 1 – year B.Ed. (Special Education)", the following shall be inserted, namely: -

"OR

Post-Graduation with a minimum 55% marks or equivalent grade and three-year integrated B.Ed.-M.Ed."

(3). In the said notification, in paragraph 3, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

"(c) who has acquired the qualification of three-year integrated B.Ed.-M.Ed. from any National Council for Teacher Education recognised institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V:

Provided that the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six-month Bridge Course in Elementary Education recognised by the National Council for Teacher Education, within two years of such appointment as primary teacher."

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.

[ADVT III/4/Exty./329/2021-22]

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th of August 2010, vide number 64-03/20/2010/NCTE(N&S), dated the 23rd of August 2010 and subsequently amended vide notification numbers 61-1/2011/NCTE(N&S), dated the 29th of July 2011, NCTE-Regl 012/16/2018, dated the 28th June, 2018 and NCTE-Reg/012/22/2019-US(Regulation)-HQ, dated the 13th November, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.16 12:47:51 +05'30'